<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u> <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-09032022-234013 CG-DL-E-09032022-234013

# असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1011]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 9, 2022/फाल्गुन 18, 1943 NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 9, 2022/PHALGUNA 18, 1943

No. 1011]

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिस्चना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2022

सं. 60 / 2015-2020

विषय :आईटीसी (एचएस) निर्यात नोति, 2018 अनुसूची—2 के अध्याय 10, क्रम सं. 55 और 57 की नीतिगत शर्त में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 1043(अ).— विदेश व्यापार नीति 2015—2020 के पैरा 1.02 और पैरा 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा चावल (बासमती और गैर—बासमती) के निर्यात हेतु आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018 की अनुसूची—2 की क्रम सं. 55 और 57 पर नीतिगत शर्त को संशोधित करने वाली दिनांक 01.07.2021 की अधिसूचना सं. 12/2015—20 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. अध्याय 10 में क्रम सं. 55 और 57 की मौजूदा प्रविष्टियों में निम्नलिखित नीतिगत शर्त को संशोधित किया जाएगाः

1597 GI/2022 (1)

क्र. सं.	प्रशुल्क मद एचएस कोड	मद विवरण	निर्यात नीति	वर्तमान नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
55	1006 2000 100630 1006 3010 1006 3090 1006 4000	गेर-बासमती चावल	मुक्त	<ul> <li>यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों और यूरोपीय देशों, नामतः आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नार्वे और स्विट्जरलैंड को निर्यात, निर्यात निरीक्षण परिषद / निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा 'निरीक्षण प्रमाणपत्र' जारी करने के अधीन अनुमत है।</li> <li>निर्यात निरीक्षण प्रमाणपत्र' जारी करने के अधीन अनुमत है।</li> <li>निर्यात निरीक्षण प्रमाणपत्र शेष यूरोपीय देशों को किए जाने वाले निर्यात हेतु दिनांक 1 जनवरी, 2022 से अनिवार्य होगा।</li> </ul>	राज्यों और यूरोपीय देशों, नामतः आइसलेंड, लिकटेंस्टीन, नार्वे और स्विट्जरलेंड को निर्यात, निर्यात निरीक्षण परिषद / निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा 'निरीक्षण प्रमाणपत्र' जारी करने के अधीन अनुमत है। • निर्यात निरीक्षण परिषद / निर्यात निरीक्षण प्रमाणपत्र शेष यूरोपीय देशों को किए जाने वाले निर्यात
57	1006 3020	बासमती चावल (डीहस्क्ड ब्राउन), सेमीमिल्ड, मिल्ड दोनों पारब्बायल्ड अथवा रॉ कन्डिशन में)	मुक्त	<ul> <li>यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों और यूरोपीय देशों, नामतः आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नार्वे और स्विट्जरलैंड को निर्यात, निर्यात निरीक्षण परिषद / निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा 'निरीक्षण प्रमाणपत्र' जारी करने के अधीन अनुमत है।</li> <li>निर्यात निरीक्षण प्रमाणपत्र' जारी करने के अधीन अनुमत है।</li> <li>निर्यात निरीक्षण प्रसिष्प प्रमाणपत्र शेष यूरोपीय देशों को किए जाने वाले निर्यात हेतु दिनांक 1 जनवरी, 2022 से अनिवार्य होगा।</li> </ul>	राज्यों और यूरोपीय देशों, नामतः आइसलेंड, लिकटेंस्टीन, नार्वे और स्विट्जरलेंड को निर्यात, निर्यात निरीक्षण परिषद / निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा 'निरीक्षण प्रमाणपत्र' जारी करने के अधीन अनुमत है।

# 3. अधिसूचना का प्रभावः

मौजूदा अधिसूचना सं. 12/2015—20 दिनांक 01.07.21 को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि केवल यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों और अन्य यूरोपीय देशों नामतः आइसलैंड, लिकस्टेंस्टीन, नार्वे और स्विटजरलैंड को चावल (बासमती और गैर—बासमती) का निर्यात करने के लिए ईआईए/ईआईसी से निरीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। 1 जुलाई, 2022 से शेष यूरोपीय देशों (आइसलैंड, लिकस्टेंस्टीन, नार्वे और स्विटजरलैंड को छोड़कर) को निर्यात करने के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण अभिकरण से निरीक्षण प्रमाण पत्र अपेक्षित होगा।

[फा. सं. 01/91/171/148/एएम-21/ईसी/ई-18655]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

# (Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th March, 2022

## No. 60/2015-2020

Subject: Amendment in Policy condition of Sl. No. 55 & 57, Chapter 10 Schedule-2, ITC(HS) Export Policy, 2018 – reg.

**S.O.** 1043(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended read with para 1.02 and Para 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes the following amendment to the **Notification No.** 12/2015-20 dated 01.07.2021 amending the policy condition at Sl.No. 55 and 57, Schedule 2 of ITC (HS) Export Policy, 2018 for export of rice (Basmati and Non-Basmati).

2. The following policy conditions shall be amended to the existing entries of Chapter 10 at Sl. No. 55 and 57:-

	and 37							
Sl. No.	Tariff item HS code	Item Description	Export Policy	Present Policy Condition	Revised Policy Condition			
55	1006 2000 100630 1006 3010 1006 3090 10064000	Non-Basmati Rice	Free	<ul> <li>Export to EU Member States and European countries namely Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland permitted subject to issuance of Certificate of Inspection by Export Inspection Council / Export Inspection Agency'.</li> <li>Certificate of Inspection by Export Inspection Council / Export Inspection Council / Export Inspection Council / Export Inspections Agency shall be mandatory for export to remaining European countries with effect from 1st January, 2022.</li> </ul>	Inspection by Export			
57	1006 3020	Basmati Rice (Dehusked (Brown),semi- milled, milled both in either par-boiled or raw condition.	Free	<ul> <li>Export to EU Member States and European countries namely Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland permitted subject to issuance of Certificate of Inspection by Export Inspection Council / Export Inspection Agency.</li> <li>Certificate of Inspection by Export Inspection Council / Export Inspection Council / Export Inspections Agency shall be mandatory for export to remaining European countries with</li> </ul>	Export to EU Member States and European countries namely Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland permitted subject to issuance of Certificate of Inspection by Export Inspection Council / Export Inspection Agency.      Certificate of Inspection by Export Inspection by Export Inspection Council/			

		effect	from 1st	January,	Export	Inspections	
		2022.			Agency	shall	be
					mandatory for export		ort to
					remaining	Euro	pean
					countries	with e	ffect
					from 1st J	uly, 2022	2.

#### 3. Effect of notification:

The Notification No. 12/2015-2020 dated 01.07.2021 is amended to the extent that export of Rice (Basmati and Non-Basmati) to EU member states and other European Countries namely Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland only will require Certificate of Inspection from EIA/EIC. Export to remaining European countries (except Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland) will require Certificate of Inspection by Export Inspection Council / Export Inspection Agency for export from 1<sup>st</sup> July, 2022.

[F. No. 01/91/171/148/AM21/EC/E-18655]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Addl. Secy.